पूना समझौता, जिसे यरवदा समझौते के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अनुसूचित जाति (पहले अछूत के रूप में जाना जाता था) और उच्च जाति के नेताओं के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन प्रावधान प्रस्तावित। पूना संधि की मुख्य विशेषताएं और परिणाम यहां दिए गए हैं:

पृष्ठभूमि:

1. सांप्रदायिक पुरस्कार: सांप्रदायिक पुरस्कार भारत में प्रधान मंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव था, जिसमें अनुसूचित जाति सहित विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग की गई थी। प्रस्ताव का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था।
2. गांधीजी का उपवास: महात्मा गांधी अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार के प्रावधान के बारे में बहुत चिंतित थे। इसके विरोध में, उन्होंने सितंबर 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. बातचीत: पूना समझौता बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के नेताओं और उच्च जाति के नेताओं, जिनका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से मदन मोहन मालवीय और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा किया गया था, के बीच बातचीत का परिणाम था। वार्ता महात्मा गांधी के उपवास की छाया में आयोजित की गई, जिसने महत्वपूर्ण सार्वजनिक ध्यान और दबाव उत्पन्न किया।
2. आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र: पूना पैक्ट के तहत इस बात पर सहमति हुई कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के बजाय, उनके पास आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होंगे। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में, एक समुदाय के सभी सदस्य एक साथ मतदान करेंगे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें आवंटित की गईं।

परिणाम और प्रभाव:

1. व्रत का संकल्प: पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने से महात्मा गांधी के अनशन को समाप्त करने में मदद मिली। गांधीजी अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से समुदायों के बीच पैदा होने वाले गहरे विभाजन को लेकर चिंतित थे और पूना पैक्ट ने उनकी कुछ चिंताओं का समाधान किया।
2. व्यापक राजनीतिक समावेशन: पूना पैक्ट ने अनुसूचित जातियों के लिए अधिक राजनीतिक समावेशन और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जबकि वे संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करेंगे, आरक्षित सीटें सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा है।
3. कांग्रेस का एकीकरण: पूना पैक्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता में योगदान दिया, क्योंकि मदन मोहन मालवीय और अन्य जैसे नेता बी.आर. अम्बेडकर और अनुसूचित जाति के नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुँचे।
4. सांप्रदायिक पुरस्कार में संशोधन: पूना संधि के बाद, ब्रिटिश सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित सहमत परिवर्तनों को शामिल करने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार में संशोधन किया।
5. राजनीतिक सशक्तिकरण: पूना समझौता भारत में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इससे उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने और देश के शासन में अपनी बात रखने की अनुमति मिली।

पूना पैक्ट को भारत के सामाजिक न्याय के संघर्ष और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में याद किया जाता है। इसने एक विवादास्पद मुद्दे का समाधान किया और एकजुट भारत के ढांचे के भीतर अनुसूचित जातियों के लिए अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समावेशन का मार्ग प्रशस्त किया।

LEARNING
MANTRAS